डा0 आर0के0 विश्वकर्मा
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–16 /2023

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर
विस्तार, लखनऊ–226010

दिनांकः मई, 31 2023

विषयः–प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में संचालित साइबर थानों के कियान्वयन के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या–21/2022 दिनांक 23.07.2022 में आंशिक संशोधन।

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–25/2020/32पी/6–पु–6–2020–300(13)/2014 दिनांक 06.02.2020 द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन 2000) के अधीन अपराधों के पंजीकरण एवं अन्वेषण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, साइबर काइम, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन प्रदेश में 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों कमशः मिर्जापुर, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा, आजमगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झॉसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बस्ती एवं गोरखपुर में साइबर काइम पुलिस थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश में पूर्व से लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में साइबर काइम पुलिस थाना स्थापित है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 18 परिक्षेत्रों में एक–एक साइबर अपराध थाना स्थापित करते हुए उनका अधिकार क्षेत्र भी उपरोक्त अंकित अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है।

2. समस्त 18 परिक्षेत्रीय साइबर अपराध थानों की स्थापना एवं उन्हें संचालित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित एस0ओ0पी0 (डीजी परिपत्र संख्या–21/2022 दिनांक 23.07.2022) में आंशिक संशोधन निम्नवत किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य दिशा–निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

- आई0टी0एक्ट की ऐसी विवेचनायें जिनमें धोखाधड़ी की धनराशि रूपया 05 लाख या उससे अधिक हो वह विवेचनायें साइबर काइम थाना में पंजीकृत अथवा स्थानान्तरित की जायेगीं।
- आई0टी0एक्ट की विवेचनाओं को साइबर काइम थानों में स्थानान्तरण हेतु जनपदों द्वारा सीधे साइबर काइम मुख्यालय प्रेषित न करते हुए परिक्षेत्र/जोन स्तर के माध्यम से साइबर काइम मुख्यालय प्रेषित किया जाये, जिनको विशेष पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर काइम, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त ही साइबर काइम थानों में स्थानान्तरित किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विवेचना स्थानान्तरण होने के आदेश के पश्चात ही मूल केसडायरी प्रेषित की जायेगी।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करने से बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय,

31/5/23
(डा0 आर0के0 विश्वकर्मा)

समस्त विशेष/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से)
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।